आवश्यक/बैठक

संख्या: 56/2021/1362733/ 12-2010/6/2021-एस.85/2008

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2020

विषय: रबी अभियान 2021 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्न कार्यक्रमानुसार मण्डल स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से) किया गया है:-

क्रमांक	दिनांक	स्थान	कृषि विश्वविद्यालय	मण्डल
1	2	3	4	5
1	01 अक्टूबर, 2021	एन0आई0सी0, मेरठ	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ	मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं बरेली
2	06 अक्टूबर, 2021	एन0आई0सी0, लखनऊ	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक, कानपुर	अलीगढ़/कानपुर/आगरा एवं लखनऊ
3	07 अक्टूबर, 2021	एन0आई0सी0, गोरखपुर	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक, कुमारगंज, अयोध्या	देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी एवं आजमगढ़
4	08 अक्टूबर, 2021	एन0आई0सी0, बांदा	बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा	झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज एवं विन्ध्याचल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. रबी उत्पादकता गोष्ठी में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, कृषि तथा सम्बन्धित विभागो के अधिकारी एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेगें।

3. रबी उत्पादकता गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा किया जाएगा, तथा, संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अपने मण्डल की गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 56/2021/1362733/ 12-2010/6/2021- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं गोष्ठी मे प्रतिभाग करने हेतु:-

1. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन,
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन,
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ पशुपालन/ मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण/परती भूमि/रेशम, उत्तर प्रदेश शासन को रबी गोष्ठी में प्रतिभाग करने के निवेदन सहित,
6. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा/डीम्ड विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
10. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ,
11. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
12. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश,
13. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/वाराणसी हिन्दू विश्वविश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ ,
14. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/ उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ,
16. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
17. सामान्य प्रबंधक, संबंधित बीमा कम्पनियॉ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ,
19. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
20. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
21. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उक्त रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित करते हुए गोष्ठी के आयोजन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें,
22. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
23. निदेशक (तकनीकी), एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ,

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।